

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :-369 / 2025

प्रार्थी:-

गोपाराम पुत्र भुताराम जाति चौधरी निवासी मोतीसरा सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरुस्ती
उपस्थित :-

श्री श्रवण जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश ::--

दिनांक :-20.02.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 20, 23, 24 व 306 रकबा क्रमशः 0.0231, 1.2344 ,0.0401 व 1.3891 हैक्टेयर भूमि ग्राम जूनाखेडा मोतीसरा तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 255,25,546 व 569 कुल रकबा 12.5810 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोतीसरा तहसील सिवाना में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी के पिता के फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम सन्तोष कुमार" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, गैस डायरी, बैंक डायरी, परिचय पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी के वास्तविक नाम "गोपाराम" दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम

दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट

प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा

जारी प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि प्रस्तुत

किये।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "गोपाराम" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 20, 23, 24 व 306 रकबा क्रमशः 0.0231, 1.2344 ,0.0401 व 1.3891 हैक्टेयर भूमि ग्राम जूनाखेडा मोतीसरा तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 255,25,546 व 569 कुल रकबा 12.5810 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोतीसरा तहसील सिवाना में प्रार्थी का नाम "सन्तोष कुमार" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "गोपाराम" दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम "सन्तोष कुमार" करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 20, 23, 24 व 306 रकबा क्रमशः 0.0231, 1.2344 ,0.0401 व 1.3891 हैक्टेयर भूमि ग्राम जूनाखेडा मोतीसरा तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 255,25,546 व 569 कुल रकबा 12.5810 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोतीसरा तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम " सन्तोष कुमार "के स्थान पर "गोपाराम उर्फ सन्तोष कुमार" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आंक 20.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपाखण्ड अधिकारी
सिवाना (बिहार)